प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संचालित राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के आय एवं व्यय की लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रतिवेदन में अन्र्तविष्ट है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामलों में वैसे मामले, जो 2015-16 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षो में प्रकाश में आए थे, परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, 2015-16 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा की गई है।